न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

CNR No. UPAZ01-008614-2024

सत्र परीक्षण संख्या–499/2024

राज्य बनाम महेन्द्र आदि

अपराध सं०–45/2024

धारा–34, 302, 120बी भा०दं०सं० व

3/25 आयुध अधिनियम

थाना–बरदह, जनपद आजमगढ़

दिनाँक–09.03.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त वीरेन्द्र जिला कारागार आजमगढ़ से तथा शेष अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। साक्षी उजाला यादव की ओर से प्रार्थना पत्र दिनाँकित 09.03.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनाँक 27.01.2026 को एन०बी०डब्लू० जारी हो गया है। वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दर्ज कराने आयी है। एन०बी०डब्लू० का आदेश निरस्त करने की याचना की गयी। न्यायहित में याचना स्वीकार की जाती है। साक्षी द्वारा 50,000/ का पी०बी० दाखिल करने पर उसके विरूद्ध पारित एन०बी०डब्लू० का आदेश निरस्त किया जाता है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा साक्षी उजाला यादव को उन्मोचित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 90ख दिया गया है और यह कथन किया गया है कि साक्षी उजाला यादव कई बार गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत होने के उपरांत आज साक्ष्य हेतु न्यायालय उपस्थित आयी है और अभियुक्तगण से मिल गयी है। अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं कर रही है। उजाला यादव को साक्ष्य से उन्मोचित किया जाये।

इसके विरूद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करने व विधि व्यवस्था देने हेतु एक दिन के समय की माँग की गयी है। न्यायहित में याचना स्वीकार की जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनाँक 10.03.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.03.09 16:42:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court